

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(वी ए एस प्रकोष्ठ)

संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स/यूनिफाइड मैसेजिंग सेवा के प्रचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन।

(कृपया इस फार्म को भरने से पहले दिशानिर्देशों और मसौदा लाइसेंस करार को सावधानी पूर्वक पढ़ लें) आवेदन पत्र में हर एक बिन्दु पर पूरी सूचना दी जानी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कागज जोड़े जा सकते हैं। शर्तयुक्त विवरणों वाले अपूर्ण आवेदन तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

1. सेवा क्षेत्र जिसके लिए लाइसेंस की मांग की गई है _____
(प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत _____
किया जाए) _____
2. अन्य सेवा क्षेत्र का नाम 1. _____
जिसके लिए पृथक 2. _____
रूप से आवेदन प्रस्तुत किया गया है 3. _____
(आवश्यकता पड़ने पर पृथक कागज संलग्न करें)
3. आवेदक कम्पनी का नाम _____

4. डाक का पूरा पता और टेलीफोन/फैक्स नम्बर
(i) निगमित कार्यालय _____
(ii) पजीकृत कार्यालय _____
5. पत्रचार का पता और टेलीफोन/फैक्स नम्बर _____
6. प्राधिकृत संपर्क व्यक्ति का नाम, उसका पदनाम और _____
टेलीफोन/फैक्स नम्बर _____
7. कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित _____
पंजीकरण प्रमाणपत्र की अधिप्रमाणित प्रति _____
(कृपया अनुबंध-I के रूप में संलग्न करें)
8. कम्पनी के प्रवर्तक/साझेदार (इक्विटीधारिता का ब्यौरा)

क्र.सं.	प्रवर्तक/साझेदार का नाम	भारतीय/विदेशी	इक्विटी %

(अनिवासी भारतीय इक्विटी सहित कुल विदेशी इक्विटी भागीदारी, यदि कोई हो, की 100% की सीमा तक, पुनः प्रत्यावर्तनीय और गैर पुनः प्रत्यावर्तनीय अनुमति है। 100% इक्विटी का पूर्ण ब्योरा दिया जाना चाहिए)

9. भारतीय कम्पनी और विदेशी साझेदार यदि कोई हो, के बीच करार की अधिप्रमाणित प्रति
(कृपया अनुबंध-II के रूप में संलग्न करें)
10. विदेशी सहयोग की शर्तों के लिए भारत सरकार के अनुमोदन की अधिप्रमाणित प्रति या प्रस्तुत करने के प्रमाण के साथ इस सम्बन्ध में एस आई ए/सरकार को प्रस्तुत आवेदन की प्रति
(कृपया अनुबंध-iv के रूप में संलग्न करें)
11. पिछले दो वर्षों का आयकर बेबाकी प्रमाण-पत्र
(कृपया अनुबंध-IV के रूप में संलग्न करें)
12. कम्पनी और इसके सम्बद्ध/सहयोगी कम्पनियों यदि कोई हो, द्वारा धारित दूरसंचार सेवा लाइसेंसों की सूची और उनकी वर्तमान स्थिति (आवश्यकता पड़ने पर, पृथक कागज संलग्न करें जिनमें उन लाइसेंसों के लिए बेबाकी प्रमाण-पत्र शामिल हैं)

- (i) -----
- (ii) -----
- (iii) -----
- (iv) -----

13. निदेशक मंडल का प्रस्ताव/अन्य प्रमाण कि आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है.
(कृपया अनुबंध-V के रूप में संलग्न करें)

14. प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान के लिए डिमांड ड्राफ्ट:

- (i) संख्या और तारीख -----
- (ii) राशि -----
- (iii) बैंक का नाम जिस पर आहरित है -----
(पृथक लिफाफे में डिमांड ड्राफ्ट रखें और उसे आवेदन के साथ नत्थी करें)

15. कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी -----

- (i) संख्या एवं तारीख -----
- (ii) राशि -----
- (iii) तक वैध (तारीख) -----
- (iv) बैंक का नाम और पूरा पता तथा टेलीफोन/फैक्स नम्बर -----
(अलग लिफाफे में रखें तथा आवेदन के साथ नत्थी करें)

(अलग लिफाफे में रखें तथा आवेदन के साथ नत्थी करें)

प्रमाण-पत्र

1. मैं एतद्-द्वारा अधिप्रमाणित करता हूँ कि मैंने वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स/यू एम एस सेवा पर दिशानिर्देशों और मसौदा लाइसेंस करार का सावधानी-पूर्वक अध्ययन किया है। मैं उसमें निहित निबंधन और शर्तों का पूर्णतः अनुपालन करता हूँ।
2. मुझे जानकारी है कि यदि यह आवेदन किसी मामले में अपूर्ण पाया जाता है या इसमें शर्तयुक्त अनुपालन है या प्रोसेसिंग शुल्क और/अथवा अपेक्षित बैंक गारंटी नहीं है तो इसे तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
3. मुझे जानकारी है कि प्रोसेसिंग शुल्क लौटाया नहीं जाएगा भले ही मुझे लाइसेंस दिया जाता है या नहीं।
4. मैं लाइसेंस करार, जिसका एक मसौदा मुझे दिया गया है, पर मुझे संसूचित निर्धारित समय के भीतर हस्ताक्षर करने का वचन देता हूँ जिसके न होने पर मेरा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा और प्रोसेसिंग शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
5. मुझे जानकारी है कि लाइसेंस, यदि मुझे दिया जाता है, के आवेदन से सम्बन्धित सभी मामले केवल दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।
6. मुझे जानकारी है कि ऐसी कम्पनियों, जो भारतीय तार अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रदत्त अन्य दूरसंचार सेवा लाइसेंसों के सम्बन्ध में संविदात्मक दायित्वों को कार्यान्वित करने में विफल रही है को वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स/यूएमएस लाइसेंस नहीं प्रदान किए जाएंगे और उनसे सम्बद्ध या उनकी सहयोगी कम्पनियां पात्र नहीं होंगी।
7. मैं अधिप्रमाणित करता हूँ कि आवेदन पत्र की मद 12 में उल्लिखित कम्पनियों में से किसी भी कम्पनी ने भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत प्रदान लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है।
8. मुझे जानकारी है कि यदि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दिया गया कोई प्रमाण या प्रस्तुत की गई कोई सूचना किसी समय गलत पायी जाती है तो आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इस आवेदन के आधार पर दिया गया कोई लाइसेंस निरस्त हो जाएगा।

तारीख

स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
का हस्ताक्षर एवं नाम
(कम्पनी की मुहर)

मेसर्स -----

की ओर से

श्री -----

द्वारा जीपीए धारक, दिनांक -----

प्रस्ताव के अनुसार निष्पादित, सं० -----

दिनांक ----- निदेशक मंडल द्वारा पारित

वायस मेल/ऑडियोटेक्स/यूएमएस सेवा के प्रचालन के लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन

(यह पृष्ठ केवल आवेदकों की सूचना और मार्गदर्शन के लिए है)

1. आवेदन पत्र में निम्नलिखित शामिल हैं :-
 - (i) वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स/यूएमएस सेवा पर दिशानिर्देश
 - (ii) लाइसेंस करार
 - (iii) कार्य-निष्पादक बैंक गारंटी।
2. बिना भरा हुआ आवेदन पत्र नई दिल्ली स्थित दूरसंचार आयोग के मुख्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है या इसे दूरसंचार विभाग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
3. आवेदन की दो प्रतियां (एक मूल और दूसरी प्रतिलिपि) प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें विशेष रूप से “मूल” और “प्रति” लिखी होनी चाहिए। अनुबंधों सहित मूल आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्याही से हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/कूरियर सेवा द्वारा या व्यक्तिगत रूप से “सहायक महानिदेशक (वीएएस- II) दूरसंचार विभाग, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001.” को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
4. अनुबंध I, II, III, iV और V के रूप में अपेक्षित दस्तावेज सेवा क्षेत्रों में से एक क्षेत्र के लिए आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने चाहिए। अन्य आवेदनों में यह उल्लेख किया जा सकता है कि ये अनुबंध - - - - - सेवा क्षेत्र के आवेदन पत्र के साथ संलग्न हैं।
5. सरकार के पास बिना कोई कारण बताए लाइसेंस प्रदान न करने का अधिकार सुरक्षित है।